

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

लखीमपुर खीरी/ बलिया/ सहारनपुर/ मथुरा/ बरेली/ महाराजगंज/  
कुशीनगर/ सीतापुर/ ज्योतिबाफूलेनगर/ महामायानगर/ पीलीभीत/ बागपत/  
फरुखाबाद/ बुलन्दशहर।

राजस्व विभाग

लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2010

विषय : वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़ एवं दैवी आपदा राहत निधि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु धनावंटन। महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तात्कालिक प्रकृति की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० 15,00,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत मद में धनराशि शासनादेश संख्या-3253 / 1-10-2008-12(73) / 2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 व 4 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464 /1-10-2008-14(45) /2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. वर्ष 2010-11 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा

हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693 / 1—11—2005—रा०—11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या—3593ए(1) / 1—10—2010—14(63 / 2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2—सम्बन्धित जनपदों के मण्डलायुक्त।
- 3—आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 5—वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 6—कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 7—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5
- 8—समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभा—10/राजस्व अनुभाग—6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9—निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 10—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)

संयुक्त सचिव, राजस्व

शासनादेश संख्या—3593ए/1—10—2010—14(63)/2010, दिनांक 25 अक्टूबर, 2010 का र

(₹० लाख में)

| क्र.सं. | जनपद            | मदों का विवरण   | आवंटित धनराशि |
|---------|-----------------|---|---------------|
| 1.      | लखीमपुर खीरी    | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 2.      | बलिया           | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 3.      | सहारनपुर        | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 4.      | मथुरा           | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 5.      | बरेली           | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 6.      | महराजगंज        | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 150.00        |
| 7.      | कुशीनगर         | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 8.      | सीतापुर         | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 9.      | ज्योतिबाफूलेनगर | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 200.00        |
| 10.     | महामायानगर      | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 11.     | पीलीभीत         | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00        |
| 12.     | बागपत           | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 50.00         |

|         |             |   |                |
|---------|-------------|---|----------------|
| 13.     | फर्स्टखाबाद | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00         |
| 14.     | बुलन्दशहर   | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना / मरम्मत | 100.00         |
| कुल योग |             |   | <b>1500.00</b> |